सीगा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 28/2022 अनवान् बलवन्त सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति रामगढ़िया निवासी सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. बलविन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति रामगढिया 2. गुरपाल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख 3. गुरमीत सिह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिाख 4. राजा सिंह पुत्र स्वरूप सिंह जाति जटसिख निवासीगण सुलावलपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5. कन्हैया लाल पुत्र लुण्ड़िदा राज जाति अरोड़ा निवासी हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर 6. हरबंस लाल पुत्र वीरभान जाति अरोड़ा 7. दर्शनालाल पुत्र द्रोपन जाति अरोड़ा निवासी सुजावलपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर 8. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की ओर से श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री इकबाल सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीसंख्या 1 ता 7 द्वारा एक नियमित प्रकरण अनवानी बलविन्द्र सिंह वगै. बनाम बलवन्त सिंह वगै. का अप्रार्थी संख्या 8 के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनिमयय का चक 5 सी बडी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 6 व 17 के रास्ते के सम्बन्ध में विचाराधीन है।

उनका प्रार्थना पत्र में आगे कथन है कि अप्रार्थीगण दिनांक 22.02.2022 को 40–45 राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में आये और फैसला करने के लिए दबाव बना रहे है इसलिए उन्हें आशंका है कि फैसला न्यायहीत में न होकर एक तरफा न हो जावे और अप्रार्थीगण सरेआम कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का फैसला उनके पक्ष में होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर कोई राजनैतिक दबाव नही बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। समस्त तथ्य प्रार्थी ने झूठे एवं मनगढंत अंकित करवाये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी बलवन्त सिंह द्वारा उक्त मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ नयायला द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है, फिर भी उक्त प्रकरण को प्रार्थी की मांग के अनुसार अन्य सक्षम अधिकारी को मुन्तकिल कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण को प्रार्थी की मांग के अनुसार अन्य सक्षम अधिकारी को मुन्तकिल कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होनें ने आगे निवेदन किया कि जिस स**क्षम अधिकारी को उक्त प्रकरण मुन्तकिल किया जावे उसे यह निर्देश दिया जावे कि प्रकरण का गुण अवगुण पर 13 अप्रैल 2022 से पूर्व निर्णय पारित कर देवें।**

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और अप्रार्थी के अधिवक्ता के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2021 अनवानी बलविन्द्र सिंह आदि बनाम बलवन्त सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय मिलने की आशंका व्यक्त कर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है और अप्रार्थी के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 83/2021 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आपत्ति नहीं है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायलाय में उक्त विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2021 अनवानी बलविन्द्र सिंह आदि बनाम बलवन्त सिंह आदि को न्यायहित में अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित होगा। अतः उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण संख्या 83/2021 को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को मुन्तकिल किया जाता है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तुरन्त प्रभाव से उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 11.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में उपस्थित हो जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested